उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-1/2015/सीपी 1172/84-2-2014-सीपी 7/2009
लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुददीन, 758, शेरखान लेन, वासलीगंज, मीरजापुर की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 321/84-2-2010-सीपी 7/2009, दिनांक 11 अग्रस्त, 2010 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, महराजगंज में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी। श्री जमाल अख्तर द्वारा अपने पद पर दिनांक 06 सितम्बर, 2010 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4028/एससीडीआरसी/अधि/74/10, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री जमाल अख्तर, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत के पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2014 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री जमाल अख्तर द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत के सामान्य सदस्य के पद से कुछ परिवारिक कठिनाईयों के कारण दिनांक 17 नवम्बर, 2014 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री जमाल अख्तर, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत का त्यागपत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2014 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत के सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद से श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुददीन, 758, शेरखान लेन, वासलीगंज, मीरजापुर द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 17 नवम्बर, 2014 से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-1/2015/सीपी 1172/84-2-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, महराजगंज/बागपत।
(3) कोषाधिकारी, महराजगंज/बागपत।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुददीन, 758, शेरखान लेन, वासलीगंज, मीरजापुर
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।